रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 30, 2000/कार्तिक 8, 1922
No. 688] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2000/KARTIKA 8, 1922

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2000

का.आ. 959 (अ).—जीव जंतु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में होने पर श्री कनक मल कटारा जो दिनांक 2 अप्रैल, 2000 को राज्य सभा से अपनी सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप इस बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर श्री ललित भाई मेहता, संसद सदस्य (राज्य सभा) का नाम अधिसूचित करती है और उस प्रयोजन से तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधियूचना सं. का.आ. 495 (अ), दिनांक 9 जून, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (22) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(22)	श्री ललित भाई मेहता संसद सदस्य (राज्य सभा) दीवान पाड़ा, वंकानेर, जिला-राजकोट, गुजरात।	धारा 5 (1)(i) के अंतर्गत चुने गए सदस्य"।

[फा. सं. 1/15/97-ए डब्ल्यू]
धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन करने संबंधी अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 495 (अ) दिनांक 9 जून, 1998 के तहत प्रकाशित की गई और उसके बाद सं. का.आ. 788 (अ) दिनांक 7 सितम्बर, 1998, का.आ. 934 (अ) दिनांक 29 अक्तूबर, 1998, का.आ. 1159 (अ) दिनांक 16 नवम्बर, 1999 तथा का.आ. 651 (अ) दिनांक 10 जुलाई, 2000 के तहत संशोधित की गई।

2934 GI/2000

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2000

S.O. 959(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby notifies the name of Shri Lalitbhai Mehta, Member of Parliament (Rajya Sabha) as a Member on the Animal Welfare Board of India in place of Shri Kanak Mal Katara, who has ceased to be a Member on this Board consequent upon his retirement from the Rajya Sabha on the 2nd April, 2000, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 495(E), dated the 9th June, 1998, namely :—

In the said notification, for serial number (22) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"(22)	Shri Lalitbhai Mehta, Member of Parliament (Rajya Sabha), Divanpara, Vankaner, District Rajkot, Gujarat.	Member elected under section 5(1)(i)".

[F. No. 1/15/97-AW]
DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.

Note : The notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O. 495(E), dated, the 09th June, 1998 and subsequently amended vide number S.O. 788(E), dated, the 07th September, 1998, S.O. 934(E), dated the 29th October, 1998 and S.O. 1159(E), dated the 16th November, 1999 and S.O.651(E), dated the 10th July, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode